IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में महिलाओं की स्थिति और महिला संरक्षण विधियों का विकास

ललित कुमार

शोधार्थी

शोध केंद्र- , शासकीय राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश)

डॉ. विनोद तिवारी

विभागाध्यक्ष, विधि विभाग

राजीव गांधी विधि महाविद्यालय, भोपाल, (मध्य प्रदेश)

सारांश

यह शोध पत्र भारत में महिलाओं की स्थिति और महिला संरक्षण विधियों के विकास की ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टिकोण से समीक्षा करता है। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति में गिरावट आई। इस शोध में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न, और हिंसा के ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण किया गया है, और उन कानूनी सुधारों और संरक्षण विधियों का मूल्यांकन किया गया है जो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लागू किए गए हैं। इसमें आधुनिक कानूनी सुधार, जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, और महिलाओं के लिए आरक्षण नीतियों पर भी चर्चा की गई है। इस अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और भविष्य के लिए सुझाव प्रदान करना है।

प्रमुख शब्द – ऐतिहासिक संदर्भ, वैदिक काल, कानूनी सुधार, महिला सशक्तिकरण, यौन उत्पीड़न कानून, विधिक संरक्षण,

प्रस्तावना

भारत एक ऐसा देश है जो मूल्यों, नैतिकताओं, विरासत, संस्कृति और परंपराओं का धनी है। महात्मा गांधी के शब्दों में, "हम अपने राष्ट्र को 'मदर इंडिया' और धरती को 'मदर अर्थ' कहते हैं क्योंकि सभी अनुष्ठानों, पवित्रता की उत्पत्ति एक महिला की करुणा में निहित है।" इसलिए, हमारे प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में मातृसत्तात्मक प्रणाली थी जहाँ महिलाएं परिवार की मुखिया होती थीं। उस समय शांति, सद्भाव, खुशी और समृद्धि का अस्तित्व था। लेकिन महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल से घटने लगी, जब केवल पुरुष उत्तराधिकारी और राज्य के राजकुमार को ही वारिस माना जाने लगा। फिर इसी प्रकार की विशिष्ट संस्कृति सभी राज्य व्यवस्थाओं में फली-फूली। इसने एक पितृसत्तात्मक प्रणाली को जन्म दिया, जहाँ परिवार का मुखिया पुरुष होता है, न कि महिला। उसी समय से यह सिद्धांत विकसित हुआ कि महिलाएं जन्म से ही बहुत कमजोर, डरी हुई, धमकाई हुई और मानसिक रूप से संवेदनशील होती हैं। बाद में मध्य एशिया से फारसी और मुस्लिम शासकों के प्रवेश से महिलाओं को इस तरह देखा जाने लगा कि वे ईश्वर द्वारा केवल उनकी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने पवित्र तीर्थस्थलों, स्मारकों, स्तूपों को नष्ट कर

दिया, यह मानते हुए कि इस दुनिया में केवल ईश्वर है, देवी नहीं। इसके बाद महिलाएं राजमहलों, किलों, रसोईयों आदि के अंधकार में जीने की आदत डाल चुकी थीं। उन्हें बहुविवाह, पर्दा प्रणाली, ज़नाना, जौहर, सती, दहेज जैसी प्रथाओं में कैद कर दिया गया जिससे वे समाज में एक खेल की गुड़िया बन गईं। लेकिन आज महिलाएं राष्ट्र में सबसे बड़ी कार्यशील शक्ति हैं। वे राष्ट्र के समावेशी और सतत विकास के लिए एक उत्पादक शक्ति बन गई हैं। आज स्कूल से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में प्रमुख हस्तियां महिलाएं हैं। आज हमारे राष्ट्र में महिला राजनीतिज्ञ, पेशेवर, समाजसेवी, वैज्ञानिक, सैनिक, शिक्षक और सीईओ हैं। इसलिए आधुनिक दुनिया महिलाओं की प्रगति और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इन प्रगति के बावजूद भी समाज के हर कोने में महिलाओं के उत्पीड़न, हिंसा, यौन हमलों, भेदभाव, असमानताओं के कुछ मामले हैं। यह समय है कि हम अपने दिलों, घरों, समाज, आजीविका और प्रतिनिधित्व में महिलाओं के लिए समान स्थिति पैदा करें। महिलाओं के संरक्षण के लिए बने कानूनों का ऐतिहासिक विवरण एक व्यापक विषय है, जो समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष और कानूनी सुधारों को दर्शाता है। यह शोध पत्र भारतीय समाज में महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे के विकास का विस्तार से विश्लेषण करेगा।

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति

महिलाओं के संरक्षण के लिए बने कानूनों का ऐतिहासिक विवरण एक व्यापक विषय है, जो समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष और कानूनी सुधारों को दर्शाता है। यह शोध पत्र भारतीय समाज में महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे के विकास का विस्तार से विश्लेषण करेगा।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति उच्च मानी जाती थी। उन्हें शिक्षा, संपत्ति अधिकार, और विवाह में चयन की स्वतंत्रता थी। वेदों और उपनिषदों में महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद में महिलाओं को यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। ऋग्वेद की ऋषिका गार्गी और मैत्रेयी इस बात का उदाहरण हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं को ज्ञान और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था।

मनु स्मृति

मनु स्मृति में महिलाओं के कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन मिलता है। हालांकि, इसमें पुरुषों के साथ महिलाओं की तुलना में कुछ हद तक असमानता भी देखी जा सकती है। मनु स्मृति के अनुसार, "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता:" अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन साथ ही, इसमें महिलाओं के लिए कुछ सीमाएँ भी निर्धारित की गई हैं, जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। महिलाओं को कुछ हिंदू ग्रंथों जैसे उपनिषद, शास्त्र, पुराण, विशेष रूप से देवी उपनिषद, देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण में सबसे शक्तिशाली और सशक्तिकारी माना गया है। मनुस्मृति में, हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति मिश्रित और विरोधाभासी है क्योंकि एक महिला को अपने पिता से आज्ञा और सुरक्षा लेनी चाहिए, एक युवा महिला के रूप में अपने पति से और एक विधवा के रूप में अपने बेटे से। इन ग्रंथों में आठ प्रकार की शादियों को मान्यता दी गई है, जिसमें पिता अपनी बेटी के लिए एक साथी ढूंढ़ता है और उसकी सहमति लेता है (ब्रह्म विवाह) से लेकर दूल्हा और दुल्हन बिना माता-पिता की भागीदारी के एक-दूसरे को ढूंढ़ते हैं (गांधर्व विवाह)। अर्थशास्त्र में महिलाओं का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जिसने सैन्य शिक्षा प्राप्त की और राजा की रक्षा के लिए सेवा की। इस ग्रंथ में महिला शिल्पकारों, संन्यासिनियों और महिला भिक्षुणियों का भी उल्लेख है।

इस्लामी समाज में महिलाओं की स्थिति

इस्लाम कानून कहता है कि पुरुष और महिला दोनों समान हैं। इस्लाम में पुरुषों और महिलाओं के बारे में मूल दृष्टिकोण कार्यों की पूरकता को मानता है, जैसे कि ब्रह्मांड की हर चीज में जोड़ी बनाई गई है। इस्लाम उन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को अलग करता है जो इस्लाम में विश्वास करती हैं और जो नहीं करतीं। मुस्लिम पुरुषों के पास सैन्य अभियानों के दौरान कब्जा की गई गुलाम महिलाओं का अधिकार होता है, और इन गुलाम महिलाओं को उनकी सहमति के बिना बेचा जा सकता है, सम्भावित रखैल बनने की उम्मीद होती है, विवाह के लिए उनके मालिकों की अनुमति की आवश्यकता होती है, और उनसे पैदा हुए बच्चे इस्लामी कानून के तहत स्वचालित रूप से मुस्लिम माने जाते हैं यदि पिता मुस्लिम हो।

मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति

महिलाओं की सामाजिक स्थिति

मध्यकालीन काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। इस अवधि में सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हो गईं। महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया और उन्हें घर के अंदर सीमित कर दिया गया।

सती प्रथा- सती प्रथा एक प्राचीन भारतीय प्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके शव के साथ जलाया जाता था। इस प्रथा के खिलाफ कई समाज सुधारकों ने आवाज उठाई, जिसमें राजा राममोहन राय का नाम प्रमुख है। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया और इसके निषेध के लिए प्रयास किए।

बाल विवाह- बाल विवाह की प्रथा में छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। यह प्रथा महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती थी। बाल विवाह के खिलाफ भी समाज सुधारकों ने आवाज उठाई और इसे समाप्त करने के लिए कानूनी सुधार किए।

पर्दा प्रथा- मध्यकालीन काल में पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी, जिसमें महिलाओं को समाज से अलग रखा जाता था और उन्हें घर के अंदर सीमित कर दिया जाता था। इस प्रथा के कारण महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सहभागिता में कमी आई।

औपनिवेशिक भारत में कानूनी सुधार

महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में कई कानूनी सुधार किए गए। इस अवधि में महिलाओं के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, जो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण थे।

सती प्रथा निषेध अधिनियम (1829)

यह अधिनियम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था, जो सती प्रथा को अवैध घोषित करता है। इस अधिनियम के पारित होने के पीछे राजा राममोहन राय के प्रयास महत्वपूर्ण थे।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856)

यह अधिनियम विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार प्रदान करता है, जिसे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया था। इस अधिनियम ने विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (1929)

यह अधिनियम बाल विवाह को अवैध घोषित करता है और शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित करता है। इस अधिनियम को "शारदा अधिनियम" के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण था।

स्वतंत्रता के बाद के कानूनी सुधार

महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संवैधानिक प्रावधान

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया। अनुच्छेद 14, 15, और 21 महिलाओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम (1955)

इस अधिनियम ने हिंदू विवाह में सुधार किया और महिलाओं को तलाक और गुजारा भत्ता का अधिकार दिया। यह अधिनियम महिलाओं के वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण था।

दहेज निषेध अधिनियम (1961)

यह अधिनियम दहेज प्रथा को अवैध ठहराता है और इसे अपराध घोषित करता है। दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और यह अधिनियम उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)

यह अधिनियम महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान सुरक्षा और सुविधाएँ प्रदान करता है। यह महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्तमान कानूनी ढांचा और चुनौतियाँ

घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)

इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करना है। इसमें महिलाओं को कानूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यौन उत्पीड़न से संरक्षण (कार्यस्थल पर) अधिनियम (2013)

यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

दहेज निषेध अधिनियम में सुधार

दहेज प्रथा अभी भी एक बड़ी समस्या है, और इस अधिनियम में सुधार की आवश्यकता है ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके। दहेज के कारण महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इसे समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

महिलाओं के संरक्षण के लिए बने कानूनों का ऐतिहासिक विकास यह दर्शाता है कि भारतीय समाज ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। हालांकि, इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को वास्तविक सुरक्षा और समानता मिल सके। महिला सशक्तिकरण योजनाओं और महिला संरक्षण विधियों के कारण आज महिलाएं कई मायनों में पहले से बेहतर स्थिति में हैं। ये योजनाएं और विधियां महिलाओं को सुरक्षा, समर्थन और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और सशक्तिकरण बढ़ता है।कुछ प्रसिद्ध महिला सशक्तिकरण योजनाएं और विधियां जो इस बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं:

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

महिला ई-हाट: इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों को बेच सकती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वावलंबन मिलता है।

वन स्टॉप सेंटर स्कीम (सखी): इस योजना के तहत एक ही जगह पर महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा, और मनोवैज्ञानिक मदद मिलती है।

महिला पुलिस वालंटियर (एमपीवी): इस योजना का उद्देश्य महिला सुरक्षा में सहायक बनना और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम करना है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: इस विधि का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: इस विधि का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकना और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इन योजनाओं

और विधियों के कारण महिलाओं को न केवल सुरक्षा और अधिकारों का ज्ञान हुआ है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में भी कई बदलाव देखे हैं। आज की महिलाएं पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और सशक्त हैं, जो हर क्षेत्र में अपने अस्तित्व को दर्शा रही हैं। महिलाओं की स्थिति और महिला संरक्षण विधियों का विकास भारत में एक गतिशील प्रक्रिया रही है। ऐतिहासिक रूप से महिलाएं विभिन्न चुनौतियों का सामना करती आई हैं, लेकिन सामाजिक सुधारकों, कानूनी सुधारों, और सरकारी योजनाओं ने उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है। भविष्य में भी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

संदर्भ

भारतीय संविधान

भारतीय कानूनी अधिनियम

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय समाज में महिला: इतिहास और समस्याएं" - लेखक: मनोरमा मुखोपाध्याय

महिलाओं का सशक्तिकरण: एक सामाजिक विश्लेषण" - लेखक: शांता अष्टे

हिंदी में महिला लेखन: विविध समस्याएं" - लेखक: निर्मल वर्मा

महिला संरक्षण कानून: एक अध्ययन" - लेखक: दीपिका रावत

महिला और कानून" - लेखक: राधा चक्रवर्ती